Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide Rajasthan its allocated share of Yamuna water as per agreement - laid.

श्री राहुल कस्वां (चुरू):राजस्थान को यमुना बेसिन राज्यों यथा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के मध्य 1 2.5.1994 में हुए समझौते के तहत 1.1 19 बी.सी.एम. यमुना जल का आवंटन हुआ था। समझौता पत्र के अनुसार अपर यमुना बोर्ड को बेसिन राज्यों को यमुना का आवंटन हेतु अधिकृत किया गया था। दिनांक 21.12.2001 यमुना नदी बोर्ड ने 1917 क्यूसेक यमुना का जल ताजेवाला हेडवर्क्स से चूरू व झुंझुनू के लिए दिया जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह के पश्चात भी हरियाणा ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान नहीं की। दिल्ली में आयोजित बैठक में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान व जल संसाधन मंत्री राजस्थान ने माननीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार के समक्ष मजबूती से उक्त मुद्दा उठाया। दिनांक 15.2.2018 को आयोजित अपर यमुना रिव्यु कमेटी की बैठक हरियाणा द्वारा किये गये एतराज को खारिज करते हुए अध्यक्ष को भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली द्वारा जल लाने हेतु राजस्थान को डी.पी.आर. तैयार करने को कहा है। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान ने 28.8.2018 द्वारा परियोजन के निर्माण की सहमति से अवगत कराने एवं औपचारित अनुबंध करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को निवेदन किया था।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि ताजेवाला हैड पर आवंटित जल को राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए एम.ओ.यू. पर हरियाणा की सहमति करायें, ताकि राजस्थान को अपने हिस्से का जल प्राप्त हो सके।